

कृषि रक्षा अनुभाग

जनपद बेबसाईट पर प्रकाशन हेतु जनउपयोगी विभागीय योजनाओं का विवरण

- 1- योजना का नाम:- विभिन्न पारिस्थितकीय संशाधनो द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना
- 2- सम्बन्धित विभाग का नाम- कृषि रक्षा अनुभाग(कृषि विभाग)
- 3-कार्यालयध्यक्ष का नाम- श्री मेघराज सिंह
- 4- कार्यालय का पता- कार्यालय कृषि रक्षा अधिकारी विकास भवन द्वितीय तल मुजफ्फरनगर।
- 5- कार्यालय का दूरभाष- आवर्तित न0-0131- 2620133
- 6- योजना के आरम्भ की तिथि:- 31.05.2014
- 7- योजना के समाप्ति की तिथि:- 31.03.2014
- 8- योजना का प्रकार- केन्द्रीय/राज्य/जिला/अन्य :- राज्य सरकार द्वारा संचालित
- 9- योजना का संक्षिप्त विवरण- **1- बायोपेस्टीसाइड के वितरण पर लघु एवं सीमान्त कृषकों को अनुदान-** बायोपेस्टीसाइड्स/ बायोएजेन्ट्स के वितरण पर वर्ष 2014-15 में लघु एवं सीमान्त कृषकों को अधिकाधिक लाभान्वित करने के उद्देश्य से योजना के अर्न्तगत 75 प्रतिशत तक सीमित किया गया। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित विभिन्न योजनाओं में लक्षित क्षेत्रफल पर बायोपेस्टीसाइड्स/ बायोएजेन्ट्स पर 50 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था है इस क्षेत्रफल के लिये 25 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान राज्य योजना के अर्न्तगत दिया जायेगा, अवशेष समस्त क्षेत्रफल पर राज्य योजनार्न्तगत पूर्ण अनुदान 75 प्रतिशत की व्यवस्था इस योजना के अर्न्तगत की गयी। निर्धारित लक्ष्य 600 है0
- 2- बीजशोधन हेतु बीजशोधक रसायनो पर अनुदान की व्यवस्था:-** इसके अर्न्तगत केवल वही रसायन उपलब्ध कराये जायेगे जिसका प्रयोग बीजशोधन के लिये होता है जैसे थीरम,कार्बण्डाजिम,स्ट्रेप्ट्रोमाईसीन सल्फेट,एम0ई0एम0सी0, टेबूकोनाजोल आदि। इस योजना के अर्न्तगत बीजशोधक रसायन समस्त श्रेणी के कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जाये। परन्तु प्राथमिकता लघु एवं सीमान्त कृषकों को दी गयी। निर्धारित लक्ष्य 600 है0
- 3- लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि रक्षा रसायनो पर अनुदान-** इस योजना के अर्न्तगत लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि रक्षा रसायन पर 50 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था की जायेगी। भारत सरकार द्वारा टाक्सीसिटी के आधार पर रसायनो को विभिन्न श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें लाल श्रेणी के रसायन सबसे अधिक टाक्सिक है और उसके उपरान्त टाक्सिसिटी के अवरोही क्रम पीला,नीला एवं हरा श्रेणी में वर्गीकृत कृषि रक्षा रसायन आते हैं जन स्वास्थ्य को देखते हुए लाल श्रेणी में वर्गीकृत रसायनो को अनुदान नहीं दिया जायेगा। जैसे-2 पीले और नीले श्रेणी में वर्गीकृत रसायनो के ऐसे सब्सटीट्यूट उपलब्ध हो जाये, जो हरे श्रेणी में वर्गीकृत हो तो क्रमशः पीले और नीले श्रेणी के रसायनो को अनुदान की सूची से बहार कर दिया गया है निर्धारित लक्ष्य 2400 है0
- 4- लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि रक्षा उपकरणो पर अनुदान-** लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि रक्षा उपकरणो पर 50 प्रतिशत अनुदान फुट स्प्रेयर,नैपसैक, पावर स्प्रेयर एवं डस्टर आदि पर उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे मानव चालित कृषि रक्षा उपकरण पर अनुदान की सीमा 1500/- एवं शक्ति चालित कृषि रक्षा उपकरणो पर अनुदान की सीमा 3000/- उपकरण होगी। निर्धारित लक्ष्य मानव चालित 90व शक्ति चालित 35।

